>

Title: Need to address the problems of opium growers in Jhalawar-Baran Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): झालावाड़ एवं बारां जिले में अति ओलावृष्टि के कारण वर्ष 2006-07 में 60 से 65 प्रतिशत तक अफीम की फसल खराब हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक रिपोर्टों की वैधता को न मानते हुए नारकोटिक्स विभाग ने लगभग 4000 कृषक पट्टे समाप्त कर दिये थे। इस संबंध में निरन्तर संवाद जारी है । पिछली सरकारों ने शून्य प्रतिशत औसत होने पर भी पट्टे जारी किये थे।

पिछले वर्षों में वर्षों, आंधी, तूफान एवं शीत लहर के कारण जो भी कृषकों के पट्टे रोके गये उन्हें उसी जिले की दूसरी तहसीलों में 15 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर पर पट्टे दिये गये थे। तहसील अकलेरा, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में औसत कम करके पट्टे दिये गये थे जबकि झालरापाटन, पिडावा को 54 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पट्टे दिये गये थे। अतः सभी तहसीलों को समान रूप से पट्टे दिलाये जाने की अनुमति प्रदान करें, जिस प्रकार तहसील छबड़ा छीपाबड़ौद एवं अकलेरा में 15 से 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर पर पट्टे दिय गये उसी प्राकर झालरापाटन एवं पिडावा में भी नुकसान मानकर पट्टा जारी किया जाये। झालरापाटन एवं पिडावा में फसल को हुए नुकसान से कृषकों द्वारा विभाग को समय पर अवगत कराया गया था।

उन गांवों को जिन गांवों में कृषक हैं उन्हीं गांवों में अफीम काश्त करने की इजाजत दी जाये, चाहे उस गांव में एक कृषक हो या दो। एक-एक दो-दो कृषकों के गांवों को नये लाइसेंस जारी किये जायें या उन गांवों के कृषकों की संख्या बढ़ा दी जाये।

मैं आभार मानूंगा यदि आप संदर्भित मामले पर व्यापक जनहित के आलोक में अतिशीघ्र समुचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करेंगे।